



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230730
CG-DL-E-26102021-230730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4107]
No. 4107]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4462(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) के पहले परंतुक के खंड (iii) के अनुसरण में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 25 अप्रैल, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2014 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के सारणी में, क्रम संख्यांक 1 के सामने अधिकारी का नाम, पदनाम और पता से संबंधित स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“श्री एस. आर. सूर्यवंशी,
कार्यकारी निदेशक (कार्य),
राउरकेला स्टील प्लांट,
राउरकेला-769011”।

[फा. सं. 8(7)/2014-सेल-पीसी]

पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में का.आ. सं. 1149(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. सं. 774(अ), तारीख 17 फरवरी, 2021 द्वारा अंतिम किया गया।

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

S.O. 4462(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Steel number S.O. 1149(E), dated the 21st April, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th April, 2014, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1 for the entries under column (2) relating to name, designation and address of officer, the following entries shall be substituted, namely:-

“Shri S.R. Suryawanshi,
Executive Director (Works),
Rourkela Steel Plant,
Rourkela – 769011”.

[F. No. 8(7)/2014-SAIL-PC]

PUNEET KANSAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1149 (E), dated the 21st April, 2014 and lastly amended *vide* S.O. 774 (E), dated 17th February, 2021.